

(C) a brand registered as on or after the 15th May 2017 under any law for the time being in force in any other country.”.

2. This notification shall come into force with effect from the 15th day of November, 2017.

[F. No. 354/320/2017-TRU]

MOHIT TEWARI, Under Secy.

Note : The principal notification No.2/2017-Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 674(E), dated the 28th June, 2017 and last amended by Notification No. 35/2017-Central Tax (Rate) dated 13th October, 2017 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number GSR 1284 (E), dated the 13th October, 2017.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 नवम्बर, 2017

सं. 43/2017-केन्द्रीय कर (दर)

सा.का.नि. 1389 (अ).—केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उपधारा (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार परिषद की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 4/2017- केन्द्रीय कर (दर), तारीख 28 जून, 2017, सा.का. नि. 676(अ), तारीख 28 जून, 2017, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, तालिका में, क्रम संख्या 4 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित प्रविष्टि को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“4क	5201	कच्चा कपास	कृषिक	कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति”;
-----	------	------------	-------	----------------------------

2. यह अधिसूचना 15, नवंबर 2017 से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 354/320/2017-(टीआरयू)]

रुचि बिष्ट, अवर सचिव

नोट: प्रधान अधिसूचना सं. 4/2017-केन्द्रीय कर (दर) दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि. 676(अ) दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 36/2017 केन्द्रीय कर(दर) दिनांक 13 अक्टूबर, 2017, जिसे साकानि 1285 (अ) दिनांक 13 अक्टूबर, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th November, 2017

No. 43/2017-Central Tax (Rate)

G.S.R.1389 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 9 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.4/2017- Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number

G.S.R. 676 (E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the TABLE, —

(i) after Sl. No. 4 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

“4A.	5201	Raw cotton	Agriculturist	Any registered person”.
------	------	------------	---------------	-------------------------

2. This notification shall come into force with effect from the 15th day of November, 2017.

[F. No. 354/320/2017- TRU]

RUCHI BISHT, Under Secy.

Note: The principal notification No.4/2017-Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 676(E), dated the 28th June, 2017 and last amended by Notification No. 36/2017-Central Tax(Rate) dated 13th October, 2017 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 1285 (E), dated the 13th October, 2017.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 नवंबर, 2017

सं. 44/2017-केन्द्रीय कर (दर)

सा.का.नि. 1390 (अ).—केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 54 की उपधारा (3) के परंतुक के उपवाक्य (ii) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार इस परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना संख्या 5/2017, केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 677 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग- II , खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 6A और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

“6 क	5608	डोरी, रज्जु या रस्सा के ग्रंथित जाल, जो टैक्सटाइल सामग्री के विनिर्मित मत्स्यन जाल और अन्य विनिर्मित जाल हैं
6 ख	5801	कॉर्डरॉय फेब्रिक
6 ग	5806	संकीर्ण व्यूतित फेब्रिक, शीर्ष सं. 5807 के माल से भिन्न ; संकीर्ण फेब्रिक, जिसमें आसंजक के माध्यम से समंजित बाना के बिना ताना है (क्सबोल्ड)।

2. यह अधिसूचना 15, नवंबर 2017 से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं.354/320/2017-टीआरयू]

मोहित तिवारी, अवर सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना सं. 5/2017-केन्द्रीय कर (दर), तारीख 28 जून, 2017, सा.का.नि. 677(अ), तारीख 28 जून, 2017 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड -3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार